(एक) आवेदक की जनजाति, प्रश्नगत भूमि का हक तथा कब्जे के बारे में सत्यापन अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएं।

(दो) भूमि का सीमांकन, भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) की सूची तथा काटे जाने हेतु प्रस्तावित वृक्ष (वृक्षों) की परिधि, ऊंचाई एवं दशा।

(तीन) क्या आवेदक का खाता, आरक्षित वन, संरक्षित वन या राजस्व वन (बड़े/छोटे झाड़ का जंगल) से लगा हुआ है या उसके समीप स्थित है।

(चार) क्या वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा किसी भी तरह जनहित, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी), जल मार्ग को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगी अथवा भू-क्षरण को बढ़ाएगी।

2. आवेदक ने आवेदन में दर्शाये कारणों वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है। आपसे यह अपेक्षा है कि आप आवेदक द्वारा दर्शाए गये कारणों की सत्यता का या अन्यथा अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच करें और यह भी पता लगाएं तथा सुझाव दें कि क्या आवेदक की आवश्यकता की पूर्ति सरकार की किसी हितग्राही मूलक कल्याणकारी स्कीम के द्वारा हो सकती है। भूमिस्वामी के व्यक्तिगत उपभोग हेतु लकड़ी की उसकी वास्तविक आवश्यकता को भी अभिनिश्चित किया जाना चाहिये।

3. जांच के दौरान पूरी सतर्कता तथा सावधानी का प्रयोग किया जाए तथा प्रतिवेदन में सिफारिशें देते समय छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का कड़ाई से पालन किया जावे।

4. समस्त संबंधितों से यह अपेक्षा की जाती है कि छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 के दाण्डिक उपबन्धों से अवगत हों।

5. अन्य किसी संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु को भी विशेष रूप से प्रतिवेदित किया जाए जो कि तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी की राय में आवेदक के हितों के संरक्षण से सुसंगत हो या उसको शोषण से बचाए या सरकार की संपत्ति या हित को बचा सके।

6. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास तारीख ..... तक पहुंच जाना चाहिये।

तारीख ..... मास ..... वर्ष ..... को मेरी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से जारी किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| तारीख ..... | न्यायालय | हस्ताक्षर ..... |
| स्थान ..... | की मुद्रा | पीठासीन अधिकारी का पूरा नाम ..... |
| | | पदनाम ..... |

**प्ररूप-तीन**

[नियम 3 देखिये]

न्यायालय, तहसीलदार .....

तहसील ..... जिला .....

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

कलेक्टर/अपर कलेकटर,

द्वारा-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).....

विषय — कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... की जांच रिपोर्ट, आवेदक ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/..... निवासी-ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

संदर्भ — कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक ..... तारीख .....

संदर्भ के अधीन आदेश के अनुपालन में राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया था तथा मैंने अपनी स्थानीय अधिकारिता के अधीन ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... में स्थानीय जांच की तथा स्थल निरीक्षण तारीख ..... को किया।

2. जांच के समय निम्नलिखित व्यक्ति सहायता तथा साक्षी के रूप में उपस्थित थे —

(क) आवेदक तथा उसके नातेदार/साथी यदि कोई हो, का नाम .....

(ख) दो स्वतंत्र साक्षियों का नाम तथा पता 1 .....

2 .....

(ग) फील्ड कर्मचारीवृन्द का पूरा नाम, पदनाम तथा धारित प्रभार .....

3. मैंने निम्नलिखित से संबंधित तथ्यों को अभिनिश्चित करने हेतु आवेदक, पटवारी, कोटवार तथा अन्य स्थानीय साक्षियों के शपथ पर कथन अभिलिखित किए हैं —

(एक) भूमि का हक तथा कब्जा

(दो) आवेदित वृक्ष, भूमि स्वामी के खाते पर वास्तविक रूप से खड़े हैं तथा इस प्रयोजन के लिए फील्ड पर सीमांकन किया था और नवीनतम बंदोबस्त अभिलेख निर्दिष्ट किए गए हैं। सावधानीपूर्वक तथा निष्पक्ष जांच के पश्चात् मेरी सिफारिश/प्रतिवेदन निम्नानुसार है —

.....

खसरे की प्रति, किश्तबंदी बी-1 नक्शा तथा सीमांकन रिपोर्ट, काटे जाने वाले वृक्षों की सूची, अभिलिखित कथन तथा खाते का राजस्व अभिलेख रखने वाले पदधारियों का प्रमाण पत्र संलग्न है। स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा भी संलग्न है।

4. मैंने वृक्षों को काटने के संबंध में दिए गए कारणों तथा भूमिस्वामी के वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग हेतु काष्ठ, जिसमें बल्ली भी सम्मिलित है, एवं जलाऊ लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता के

बारे में सावधानीपूर्व जांच की है। मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है —

.....

5. आवश्यक तथा सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् में अभिपुष्टि करता हूँ कि वृक्ष को काटने हेतु आवेदन देने में कोई ठेकेदार/काष्ठ व्यापारी या कोई बिचौलिया अन्तर्वलित नहीं है। मेरा समाधान हो गया है कि इस प्रकरण में आवेदक का किसी प्रकार से शोषण नहीं हुआ है।

6. मैं इसकी भी अभिपुष्टि करता हूँ कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अभिलेख को छिपाया नहीं गया है, उसका दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है या गलत अर्थान्वयन नहीं किया गया है।

7. प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है, जैसा कि अपेक्षित है —

| | | |
|---|---|---|
| 1. ..... | 4. ..... | 7. ..... |
| 2. ..... | 5. ..... | 8. ..... |
| 3. ..... | 6. ..... | 9. ..... |

8. अन्य कोई बिन्दु या की गई टीका-टिप्पणी —

.....

.....

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तारीख..... न्यायालय हस्ताक्षर.....

स्थान..... की मुद्रा पूरा नाम .....

---

**प्ररूप-चार**

(वन विभाग के प्रतिवेदन हेतु अध्यपेक्षा)

न्यायालय, कलेक्टर/अपर कलेक्टर .....जिला ..... मध्यप्रदेश

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

संभागीय वन अधिकारी,

..... संभाग,

जिला.....छत्तीसगढ़

विषय — अनुसूचित जनजातियों के भूमिस्वामी के खाते पर विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के प्रकरण में प्रतिवेदन के लिए अध्यपेक्षा।

संदर्भ — इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... क-62/क-63 .....

चूंकि आवेदक ..... पिता का नाम ..... निवासी .....

पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... ने अपने खाते पर वृक्ष (वृक्षों) की कटाई हेतु इस न्यायालय में निम्नानुसार आवेदन किया है —

(एक) वृक्ष (वृक्षों) की संख्या, जिनको प्रजातिवार काटे जाने हेतु आवेदन किया गया .....

(दो) खाते का विवरण —

(क) खसरा क्रमांक .....

(ख) क्षेत्र .....

(ग) ग्राम .....

(घ) पटवारी हल्का क्रमांक .....

(ङ) राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्कल) .....

(च) तहसील .....

(छ) खाते पर खड़े वृक्षों की कुल संख्या .....

2. संदर्भ के अधीन राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा उस पर तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्रतिवेदन भी अभिप्राप्त किया गया। इसके साथ आवेदन की प्रति तथा तहसीलदार का प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की टिप्पणियां संलग्न की हैं।

3. चूँकि प्रकरण के अंतिम निपटारे हेतु आपकी राय तथा प्रतिवेदन की आवश्यकता है अत: आपसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार और वन विज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रकरण में लागू हों, निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन देने की एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है —

(एक) विशिष्ट रूप से तथा विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिश्चित किया जाए कि भूमि, जो आवेदक के खाते के रूप में कथित है, शासकीय संरक्षित या आरक्षित वनों की नहीं है। इस बिन्दु पर कोई भी शंका स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से प्रतिवेदित की जाय। इस बिन्दु पर कोई शंका होने पर कारण लेखबद्ध करते हुए प्रकरण बिना आगे जांच के वापस लौटाया जाय। : .....

(दो) क्या भू-क्षरण, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) अथवा अन्य कारणों, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाये, को ध्यान में रखते हुए आवेदित वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं ? : .....

(तीन) क्या वृक्षों की आयु, परिपक्वता तथा दशा कटाई की अनुमति देने के लिए उपयुक्त है? : .....

(चार) क्या वृक्षों की कटाई की प्रस्तावित अनुमति, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के किन्हीं उपबंधों को किसी भी प्रकार प्रभावित करेगी या उनका उल्लंघन करेगी। : .....

(पाँच) कटाई हेतु सिफारिश किये गये वृक्षों का विवरण —

(क) प्रजाति : .....

(ख) वृक्षों की परिधि : .....

(ग) वृक्षों की दशा : .....

(घ) साइट क्वालिटी : .....

(छः) उपज की अनुमानित मात्रा (काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की अलग-अलग)। : .....

.....

(सात) कटाई खर्च घटाकर डिपो में मूल्यांकन के आधार पर वृक्ष (वृक्षों) का अनुमानित मूल्य। : .....

(आठ) कोई अन्य संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु, जो कि डी.एफ.ओ. की राय में आवेदक के हित के संरक्षण से सुसंगत हो या उसे शोषण से बचाए अथवा जिससे सरकार की संपत्ति या हित का संरक्षण हो सके। : .....

.....

.....

.....

.....

4. छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन यह आज्ञापक है कि इस अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 25 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

5. प्रतिवेदन में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द, जिन्होंने स्थल का निरीक्षण किया हो, तथ्यों का सत्यापन किया हो तथा प्रकरण में जांच की हो, का पूरा नाम, पदनाम एवं उनके द्वारा धारित प्रभार का स्पष्ट रूप से विवरण दें। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक ..... तक प्राप्त हो जाय।

6. सभी संबंधितों के ध्यान में यह लाया जाए कि गलत या त्रुटिपूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट करने में लोप या त्रुटिकरण, जानकारी छिपाना या विहित समयावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध है और संबंधित व्यक्ति को अनुशासनिक नियमों, जो कि उसे लागू हों, के अधीन कार्यवाही के लिए भी दायी बनाएगा।

मेरी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को जारी किया गया।

तारीख .....
स्थान .....

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर .....
पीठासीन अधिकारी का पूर्ण नाम .....
पदनाम .....
मुद्रा .....

## प्ररूप-पाँच

### संभागीय वन अधिकारी के प्रतिवेदन के लिए प्ररूप

कार्यालय, संभागीय वन अधिकारी ..... संभाग .....

मुख्यालय ..... जिला .....

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

कलेक्टर/अपर कलेक्टर,

जिला.....

विषय — अनुसूचित जनजातियों के भूमिस्वामी के खाते में विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के प्रकरण में प्रतिवेदन।

संदर्भ— राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... में अध्यपेक्षा क्रमांक .....

तारीख ..... आवेदक .....

पिता का नाम ..... ग्राम .....

पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील .....

जिला .....

यत: आपके न्यायालय में संदर्भाधीन राजस्व प्रकरण में प्रतिवेदन के लिए निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ अध्यपेक्षा इस कार्यालय में तारीख ..... को प्राप्त हुई।

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आवेदक की जनजाति .....
4. ग्राम, पटवारी हल्का क्रमांक तथा तहसील .....
5. खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल .....
6. वृक्ष, जिनकी कटाई के लिए आवेदन किया गया है .....

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 और उनके अधीन नियमों के उपबंधों और प्रकरण से संबंधित अन्य विधियों, नियमों तथा शासन के सामान्य कार्यकारी अनुदेशों के अनुरूप मेरे द्वारा आवश्यक जांच कराई गई है। वांछित बिन्दुओं पर मेरा प्रतिवेदन निम्नानुसार है —

(एक) विशिष्टतया तथा विनिर्दिष्ट रूप से : .....
अभिनिश्चित करना कि भूमि जो आवेदक के .....
खाते के रूप में कथित है सरकार के संरक्षित/ .....
आरक्षित वनों की नहीं है। (इस बिन्दु पर .....
कोई भी शंका की दशा में उसके लिए .....
कारण स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से .....
लेखबद्ध किए जाएं और प्रकरण बिना आगे .....
जांच के वापस लौटाया जाए।)

(दो) क्या आवेदक का प्रश्नगत खाता आरक्षित या संरक्षित वनों या अन्य किसी वन की सीमा से लगा हुआ है या उसके इतना निकट है कि वृक्ष (वृक्षों) की कटाई की अनुज्ञा से लगे हुए या समीपस्थ वन को नुकसान होने की सम्भावना है। : .....

(तीन) भू-क्षरण, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) या ऐसी अन्य बातें, जिनको विनिर्दिष्ट किया जाय, को ध्यान में रखते हुए क्या आवेदित वृक्षों को काटे जाने की अनुज्ञा दी जाए अथवा नहीं। : .....

(चार) क्या वृक्ष (वृक्षों) की उम्र, परिपक्वता तथा दशा वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दिए जाने के लिए उपयुक्त है ? : .....

(पांच) क्या वृक्ष (वृक्षों) को काटने की प्रस्तावित अनुज्ञा से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के किन्हीं उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन तो नहीं होता ? : .....

(छः) ऐसे वृक्ष (वृक्षों) का वृक्षवार विवरण, जिनको काटे जाने की सिफारिश की गई हैं। : .....

| वृक्ष (वृक्षों) का अनुक्रमांक | प्रजाति | वृक्ष (वृक्षों) की परिधि | वृक्ष (वृक्षों) की दशा | क्षेत्र की साइट क्वालिटी | वृक्ष (वृक्षों) की अनुमानित ऊंचाई |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

(सात) कटाई से प्राप्त होने वाली उपज, काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी की अलग-अलग अनुमानित मात्रा, : .....

(आठ) कटाई का खर्च घटाने के पश्चात् डिपो पर चालू मूल्यांकन के आधार पर उपज का अनुमानित मूल्य, : .....

(नौ) कोई अन्य संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु, जो कि संभागीय वन अधिकारी की राय में आवेदक के हितों के : .....

संरक्षण से सुसंगत हों या आवेदक को शोषण .....
से बचाए अथवा जिससे सरकार की संपत्ति .....
या हित सरंक्षण हो सके।

3. मैंने स्वयं का समाधान कर लिया है कि प्रतिवेदन तथ्यात्मक रूप से सहीं तथा पूर्ण है तथा कोई सारवान या सुसंगत तथ्य न तो छिपाया गया है और न ही उसका (दुर्व्यपदेशन या अशुद्ध) अर्थान्वयन किया गया है। मेरी निश्छल एवं निष्पक्ष राय में कटाई के लिए आवेदित वृक्षों की कटाई की निम्न कारणों से अनुमति दी जानी चाहिए/ नहीं दी जानी चाहिए।

4. आवेदन की प्रति तथा तहसीलदार का प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ जैसा अध्यपेक्षा के साथ प्राप्त हुआ था, लौटाये जा रहे हैं। परिक्षेत्र अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी (वन) के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। कटाई के लिए प्रस्तावित वृक्ष/वृक्षों का गणना पत्रक तथा मूल्यांकन पत्रक भी संलग्न है। प्रकरण में जिन अधिकारियों/पदधारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया या स्थल का निरीक्षण किया गया, उनके नाम, पदनाम तथा उनके द्वारा धारित प्रभार का विवरण संलग्न है। उन्होंने जांच के सुसंगत दस्तावेजों पर तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर, पूर्ण नाम सहित अंकित किये हैं।

मैंने पूर्ण ध्यान एवं सावधानी रखी है कि प्रतिवेदन पूर्ण, सहीं एवं सत्य है तथा सरकार और आवेदक के हित संरक्षित हैं।

तारीख ..... मास ..... वर्ष ..... को मेरे हस्ताक्षर तथा मेरे कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
पूर्ण नाम .....
पदनाम .....
कार्यालय की मुद्रा .....

---

**प्ररूप-छह**

## विनिर्दिष्ट वृक्षों की कटाई से प्राप्त उपज की सूची

भूमिस्वामी का नाम ..... ग्राम का नाम ..... पटवारी हल्का क्रमांक .....
तहसील ..... जिला .....

| खसरा क्रमांक | क्षेत्र | विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) की कटाई से प्राप्त उपज का विवरण | | | | | | | | अनुमानित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रजाति | काटे गये वृक्ष (वृक्षों) का अनुक्रमांक | लट्ठा (लाग) क्रमांक | काष्ठ नाप | | जलाऊ लकड़ी | | | |
| | | | | | परिधि | लम्बाई | मात्रा | चट्टों की संख्या | अनुमानित मात्रा | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| योग..... | | | | | | | | | | |

टिप्पणियां .....

भूमिस्वामी
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम .....

साक्षी :

| हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान | नाम |
|---|---|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

परिक्षेत्र अधिकारी .....
हस्ताक्षर तथा
तारीख .....
नाम .....
उप वन क्षेत्रपाल वनपाल .....
हस्ताक्षर तथा
तारीख .....
नाम .....
वनरक्षक .....
हस्ताक्षर तथा
तारीख .....
नाम .....